छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, रायपुर

क्रमांक : 1043/सम./ब–4/चार/ रायपुर, दिनांक : 13 /11/2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषय :– शासकीय कार्यो के लिए अधीनस्थ अधिकारियों का अनाधिकृत दिल्ली प्रवास।

–0–

प्रायः यह देखा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा दिल्ली में आयोजित बैठकों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय संबंधी कार्यो के लिए विभाग के आमंत्रित उच्च अधिकारी के अतिरिक्त अन्य अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा आवश्यकता नहीं होने पर भी दिल्ली प्रवास किया जाता है। उनकी मुख्यालय से अनुपस्थिति के कारण विभागीय कार्य प्रभावित होते है एवं यह समय–समय पर शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों का उल्लंघन भी है।

अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि नई दिल्ली में आयोजित बैंठकों/कार्यशाला/सेमीनार/माननीय उच्चतम न्यायालय संबंधी कार्यो के लिए वे ही अधिकारी उपस्थित हो जिनके लिए बैठक/कार्यशाला आयोजित की गई है अथवा जिनकी उपस्थिति अनिवार्य है। अन्य अधिकारी की उपस्थिति की आवश्यकता की दशा में विभाग से पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। अन्यथा अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के दिल्ली प्रवास पर होने वाला व्यय शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।

(डी.एस. मिश्र)
अपर मुख्य सचिव
वित्त एवं योजना विभाग

पृष्ठां. क्रमांक :1044/सम./ब–4/चार/ रायपुर, दिनांक : 13 /11/2014

प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर
8. अपर मुख्य सचिव, वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर
9. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
10. छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर, विविध सेवा मार्ग बिलासपुर
11. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
12. संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन रायपुर
13. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
14. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
15. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
16. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ मंत्रालय, नया रायपुर
17. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली नया रायपुर, को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(डी.एस. मिश्र)
अपर मुख्य सचिव